

2018/00094

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
बलवीर सिंह बनाम सतनाम सिंह व स्टेट
अपील प्रकरण संख्या 15/2018
हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
23.05.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया जावे एवं रिकॉर्ड तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस स्थगन दिनांक 18.06.2018 को पेश हो।	
18/6/18	अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित, रेस्पोंडेंट्स को जमानत का हुकम पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस स्थगन दिनांक 16/7/18 को पेश हो।	
16/7/18	अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासनिक रिपोर्ट बहस स्थगन दिनांक 9/8/18 को पेश हो।	
10/8/18	पीठमैन अधिकारी अवकाश बन्ना पर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, यह कारण के अधिवाहक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 2/9/18 को पेश हो।	
13/9/18	पीठमैन अधिकारी अवकाश बन्ना पर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, यह कारण के अधिवाहक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17/10/18 को पेश हो।	
15/10/18	पीठमैन अधिकारी अवकाश बन्ना पर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, यह कारण के अधिवाहक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 1/12/18 को पेश हो।	
11/12/18	पीठमैन अधिकारी अवकाश बन्ना पर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, यह कारण के अधिवाहक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 28/1/18 को पेश हो।	
28/1/18	बहस स्थगन के कारण कार्य स्थगित करने के कारण आज अधिवाहक उपस्थित नहीं है। पीठमैन अधिकारी अहकाम पत्रावली दिनांक 27/3/18 को पेश हो।	
8/3/18	पीठमैन अधिकारी अवकाश बन्ना पर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, यह कारण के अधिवाहक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 24/4/18 को पेश हो।	

19/7/24

पीठासीन अधिवक्ता अन्वयपक्ष उभयपक्ष १२/११/२४
कार्य में व्यस्त है। पत्रा कारण के अभिभावक उपस्थित
है। पत्रावली दिनांक ०५/८/२४ को पेश हो।

०५.८.२४

अपील वक्ता उभयपक्ष उपस्थित/वहस होतु अवसर प्राप्त
गया, जो डिमा जावे; पत्रावली वास्तु वहस
दिनांक ११/९/२४ को पेश हो; १

११/९/२४

पीठासीन अधिवक्ता अन्वयपक्ष उभयपक्ष १२/११/२४
कार्य में व्यस्त है। पत्रा कारण के अभिभावक उपस्थित
है। पत्रावली दिनांक ०९/१०/२४ को पेश हो।

९/१०/२४

~~Noted~~
~~by~~
~~(9-10-24)~~
~~(12/11/24)~~
~~65/11/24~~

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने
दौराने वहस निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान का
आपसी में राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलार्थी कोई
कार्यवाही करना नहीं चाहता है, इस कारण उपरोक्त शिर्षक
की पत्रावली में कार्यवाही समाप्त कर अभिलेखगार में जमा
कराने का आदेश दिया जाना न्यायेचित है साथ ही अपीलार्थी
के अधिवक्ता ने अपील नोटप्रेस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही
नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता
द्वारा नोटप्रेस करने के कारण एवं पक्षकारान का आपसी में
राजीनामा हो जाने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर
खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित
तहसीलदार को भेजी जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली
फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे एवं बाद
तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

12/11
जिला अभिलेखागार (पत्रावली)